पूंजी निविश 2023-24 के लिये राज्यों को विशिष सहायता

प्रलिम्सि के लिये:

पूंजी निविश के लिये राज्यों को विशिष सहायता, केंद्रीय बजट 2023-24, जल जीवन मिशिन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मेक इन इंडिया, **एक ज़िला एक उत्पाद**

मेन्स के लिये:

पूंजी निविश2023-24 के लिये राज्यों को विशिष सहायता, प्रभावी पूंजी व्यय

चर्चा में क्यों?

वित्ति मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग ने चालू वित्ति वर्ष में 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए के पूंजी निविश **प्रस्तावों** को मंज़ूरी दी है।

- यह मंज़ूरी **'पूंजी निविश 2023-24 के लिये राज्यों को विशिष सहायता'** योजना के तहत दी गई है।
- इन 16 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, बहिार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किमि, तमलिनाडु, तेलंगाना और पश्चिमि बंगाल शामलि हैं।

'पूंजी निविश 2023-24 के लिये राज्यों को विशिष सहायता' योजना:

- **पृष्ठभूमि:**
    - पूंजी निविश/व्यय के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता की**यह योजना, पहली बार वित्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 में कोविडि-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी** और इसने राज्य द्वारा किये जाने वाले पूंजीगत व्यय में उचिति समय पर वृद्धि की।
- **परिचिय:**
    - पछिले तीन वर्षों से पूंजीगत व्यय के लिये इसी तरह के प्रयास को जारी रखते हुए इस योजना की घोषणा **केंद्रीय बजट 2023-24** में की गई थी।
    - योजना के तहत **वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकारों को 1.3 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि तिक 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण** के रूप में विशिष सहायता प्रदान की जा रही है।

SPECIAL ASSISTANCE TO STATES

State	Amount (in ₹ cr)	State	Amount (in ₹ cr)
Bihar	9640	Chhattisgarh	3195
MP	7850	Telangana	2102
West Bengal	7523	AP	1255
Rajasthan	6026	Haryana	1093
Odisha	4528	HP	826
Tamil Nadu	4079	Mizoram	399
Karnataka	3647	Sikkim	388
Gujarat	3478	Goa	386

Source: Ministry of Finance

//

- **भाग:**
  - इस योजना के **आठ भाग हैं, जिसमें भाग-I, 1 लाख करोड़ रुपएके आवंटन के साथ सबसे बड़ा है।** यह राशि **15वें वित्त आयोग** के निर्णय के अनुसार राज्यों के बीच केंद्रीय करों और कर्तव्यों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में आवंटित की गई है।
  - योजना के अन्य भाग **या तो सुधारों से जुड़े हैं या क्षेत्र-विशिष्ट परियोजनाओं के लिये हैं।**
    - **भाग- II पुराने वाहनों को नष्ट करने और स्वचालित वाहन परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिये राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है।**
    - **भाग-III और IV** शहरी नियोजन **एवंशहरी वित्त में सुधार के लिये राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।**
    - **भाग-V शहरी क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिये उपलब्ध घरों की संख्या का विस्तार करने हेतु धनराशि प्रदान करता है।**
    - **योजना का भाग-VI** यूनिटी मॉल परियोजनाओं के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकीकरण, **मेक इन इंडिया** तथा **एक ज़िला एक उत्पाद** के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
    - **भाग-VII** के अंतर्गत पंचायत **और वार्ड स्तर** पर **डिजिटल बुनियादी ढाँचे के साथ पुस्तकालय स्थापित करने** के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में 5,000 करोड़ रुपए प्रदान किये जाते हैं, जिससे मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों को लाभ होता है।
- **योजना के उद्देश्य:**
  - इस योजना से **मांगको बढ़ावा देने और रोज़गार सृजनकरके अर्थव्यवस्था पर उच्च गुणक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।**
  - इस योजना का उद्देश्य **राज्यांश की पूर्ति हेतु** धनराशि प्रदान करके कार्यक्रम जल जीवन मिशन **और** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे महत्त्वपूर्ण उद्योगों में योजना को गति देना है।
  - यह योजना शहरों में जीवन की गुणवत्ता और **शासन में सुधार के लिये राज्यों को शहरी नियोजन एवं शहरी वित्त में सुधार करने** के लिये प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करती है।

भारत में पूंजीगत व्यय:

- **पूंजीगत व्यय:**
  - यह **बुनियादी ढाँचे, भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी भौतिक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उनमें सुधार के लिये सरकार द्वारा आवंटित धन को संदर्भित** करता है।
  - इसे **उत्पादक और विकास में वृद्धि का कारक** माना जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की **उत्पादक क्षमता में वृद्धि** करता है, साथ ही **भविष्य में आय बढ़ाने के साथ ही रोज़गार सृजित** करता है।
  - भारत सरकार अपने वार्षिक बजट के माध्यम से **पूंजीगत व्यय आवंटित** करती है, जिसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
    - पूंजी निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष वृद्धि देखी गई है, जो 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, यह **सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है और 33% (केंद्रीय बजट वर्ष 2023-24) की महत्त्वपूर्ण वृद्धि** दिखाता है।
- **प्रभावी पूंजीगत व्यय:**
  - बजट में प्रस्तुत पूंजीगत व्यय में **राज्यों और अन्य एजेंसियों के लिये अनुदान सहायता के माध्यम से निर्मित पूंजीगत संपत्ति में सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय शामिल नहीं है।**

- इन अनुदानों को बजट में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसके साथ ही **ये सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल आदि जैसी अचल संपत्तियों के निर्माण में भी योगदान देते हैं।**
- इसलिये केंद्र सरकार द्वारा **सार्वजनिक निवेश की वास्तविक सीमा को प्राप्त करने के लिये 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' की अवधारणा** प्रस्तुत की गई है।

◦ [प्रभावी पूंजीगत व्यय] को **पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये पूंजीगत व्यय और अनुदान के योग के रूप में परिभाषित** किया गया है।

- **इसके लिये बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% (केंद्रीय बजट 2023-24) है।**

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित में से किसको/किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है?(2016)

1. सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय।
2. विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण।
3. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदात्त ऋण और अग्रिम।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/special-assistance-to-states-for-capital-investment-2023-24